पत्र संख्या–6(स0)/विविध (अम्बापाली)–06/2016–

बिहार सरकार
उद्योग विभाग,

प्रेषक,

प्रदीप कुमार,
सरकार के अपर सचिव,
उद्योग विभाग।

सेवा में,

अनौपचारिक रूप से परामर्शित

महालेखाकार (ले0 एवं हक0),
बिहार, पटना।

द्वारा– आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

पटना, दिनांक–

विषयः– वित्तीय वर्ष 2016–17 में अम्बापाली बिहार इम्पोरियम, खड़गसिंह मार्ग, नई दिल्ली के पुर्नरूद्धार के संबंध में रू0 2,98,96,000.00 (दो करोड़ अनठानवें लाख छियानबें हजार) रूपये की आयडा से प्राप्त तकनीकी स्वीकृति में से कार्य प्रारंभ हेतु रू0 50.00 (पचास) लाख रूपये मात्र अनुमानित व्यय की स्वीकृति के संबंध में।

आदेशः– स्वीकृत।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2016–17 में अम्बापाली बिहार इम्पोरियम, खड़गसिंह मार्ग, नई दिल्ली के पुर्नरूद्धार के संबंध में कार्य प्रारंभ करने के लिए इस योजना हेतु रू0 50.00 (पचास) लाख रूपये मात्र अनुमानित व्यय की स्वीकृति प्रदान करने की कृपा की है।

2. इस योजना के अन्तर्गत अम्बापाली बिहार इम्पोरियम, खड़गसिंह मार्ग, नई दिल्ली जो बिहार सरकार की एक महत्वपूर्ण इम्पोरियम है, जिसकी वर्तमान स्थिति अन्य राज्यों यथा–तमिलनाडू, गुजरात आदि की तुलना में अच्छी नहीं है, जिसके कारण राज्य के शिल्पियों को अपने उत्पादनों के प्रर्दशनी एवं गुणवत्ता वाले बिकी सुविधा से बंचित होना पड़ रहा है। अतः इस इम्पोरियम को अन्य राज्यों की तरह विकसित एवं Renovation हेतु राशि का व्यय परियोजना के कार्यान्वयन एजेंसी आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार है के माध्यम से किया जाएगा।

3. उक्त स्वीकृत राशि का व्यय बजट मुख्य शीर्ष–2852 उद्योग, उप मुख्य शीर्ष–80 सामान्य, लघु शीर्ष–102–औद्योगिक उत्पादकता, उप शीर्ष–0163–व्यापार, वाणिज्य एवं उद्योग के अग्रसरण हेतु अन्य आधारभूत संरचनाओं का सृजन विकास एवं रख रखाव–बिहार व्यापार विकास कोष, विपत्र कोड–पी0–2852801020163 राज्य योजना स्कीम कोड–IND–5434 अन्तर्गत विषय शीर्ष 2701 लघु कार्य मद से की जाएगी, जिसके लिए वित्तीय वर्ष 2016–17 के आय–व्ययक में यथेष्ट बजट उपबंध प्राप्त है।

4. उक्त स्वीकृत राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सहायक उद्योग निदेशक (लेखा), उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना होगें, जो सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से एक मुश्त अग्रिम राशि की निकासी कर प्रबंध निदेशक, आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, बिहार, पटना को बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से उपलब्ध करायेगें।

5. इस योजना के मुख्य नियंत्री, अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण पदाधिकारी, अपर सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना होगें। योजना से संबंधित व्यय विवरणी मूल प्रमाणक प्राप्त कर समुचित जाँचोपरान्त प्रतिहस्ताक्षरित कर डी0 सी0 विपत्र में राशि का समायोजन हेतु प्रतिवेदन महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना को प्रेषित करेंगे।

6. स्वीकृत राशि परियोजना को प्रारंभ करने हेतु कार्यान्वयन एजेंसी आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार को दी जा रही है। इस योजना का राज्य योजना स्कीम कोड–IND–5434 है। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी विपत्र में निश्चित रूप से विपत्र कोड एवं योजना कोड अंकित करेंगे।

(कृ0 पृ0 उ0)

7. राशि की निकासी एवं उसका समायोजन वित्त विभागीय पत्रांक 4263 वि0, दिनांक 20.05.14 द्वारा निर्गत दिशा–निर्देश के अनुसार की जाएगी। प्रस्ताव में विभागीय मंत्री की स्वीकृति संचिका संख्या–6(स0)/**विविध (अम्बापाली)**–06/2016 (पृ0 15/टि0) पर दिनांक–17.03.17 को प्राप्त है।
8. राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक 8003 वि0 (2) दिनांक 18.09.2008 में निहित पत्रांक 2561 वि0 (2) दिनांक 17.04.1998 की कंडिका–2 एवं पत्रांक 2938 वि0 (2) दिनांक 08.04.08 के आलोक में किया जाएगा तथा इन प्रपत्रों में निहित अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
9. वित्त विभागीय पत्रांक 7355 वि0 (2) दिनांक 05.10.2007 के आलोक में इस राशि की निकासी हेतु प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

बिहार राज्यपाल के आदेश

ह0/–

(प्रदीप कुमार)
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक../
सं0 सं0–6(स0)/विविध (अम्बापाली)–06/2016

पटना, दिनांक–.........................

प्रतिलिपि–कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(प्रदीप कुमार)
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक../
सं0 सं0–6(स0)/विविध (अम्बापाली)–06/2016

पटना, दिनांक–.........................

प्रतिलिपि–सहायक उद्योग निदेशक (लेखा), उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना (दो प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(प्रदीप कुमार)
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक....1117..................................../
सं0 सं0–6(स0)/विविध (अम्बापाली)–06/2016

पटना, दिनांक–20/03/2017

प्रतिलिपि–महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना/योजना एवं विकास विकास विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/उद्योग निदेशक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, बिहार, पटना/आई0 टी0 प्रबंधक, उद्योग विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी (बजट), उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना एवं प्रशाखा पदाधिकारी–6(स0), उद्योग विभाग को तीन प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/3/17

(प्रदीप कुमार)
सरकार के अपर सचिव।
20/3/17

C:\Users\cc\Desktop\G Prasad Office.doc